न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 245-छै/1988 विरूद्व आदेश दिनांक 29-7-1988 पारित व्दारा - अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर - प्रकरण कमांक 251 अ-68/87-88 अपील

गंगा ढीमर पुत्र परसादी
ग्राम लुहरगुवां तहसील
पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ ----- आवेदक

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन --- अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर.डी.शर्मा)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श
(आज दिनांक 8 -11 -2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 251 अ-68/87-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-7-1988 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी ग्राम लुहरगुवां ने तहसीलदार पृथ्वीपुर को इस आशय का प्रतिवेदन दिया कि आवेदक ने ग्राम लुहरगुवां स्थित आराजी नंबर 37 के अंशभाग 0.800 हैक्टर पर अतिकमण किया है कार्यवाही की जावे। तहसीलदार पृथ्वीपुर ने प्रकरण कमांक 87 अ 68/

1987-88 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया। आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया, जिस पर तहसीलदार पृथ्वीपुर ने आदेश दिनांक 20-4-1987 पारित किया तथा आवेदक पर 1100/-रू. अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, पृथ्वीपुर के समक्ष अपील क्रमांक 25/1987-88 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 5 मई 1988 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील क्रमांक 251 अ-68/87-88 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 29-7-1988 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर का स्पीकिंग आर्डर नहीं है उन्हें पटवारी के कथनों पर प्रति परीक्षण का मौका नहीं दिया गया है । तहसीलदार व्दारा जो नोटिस दिया गया है वह नियमानुसार नहीं है। शासन व्दारा अतिक्रमण प्रमाणित नहीं किया गया है फिर भी आवेदक पर भारी अर्थदण्ड किया गया है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त ने विचार न करने में भूल की है। अनावेदक के अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को यथोचित बताया।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार पृथ्वीपुर ने प्रकरण क्रमांक 87 अ 68/1987-88 में पारित आदेश दिनांक 20-4-1987 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार व्दारा सुनवाई के लिये आवेदक को आहुत करने पर आवेदक उपस्थित हुआ है एंव उसके व्दारा ग्राम लुहरगुवां स्थित आराजी नंबर 37 के अंशभाग 0.800 हैक्टर पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है , तभी तहसीलदार ने आदेश दिनांक 20-4-1987 से आवेदक पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखली के आदेश दिये है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी, पृथ्वीपुर ने अपील क्रमांक 25/1987-88 में पारित आदेश दिनांक 5 मई 1988 में तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने अपील क्रमांक 251 अ-68/87-88 में पारित आदेश दिनांक 29-7-1988 में तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा अपील क्रमांक 251 अ-68/87-88 में पारित आदेश दिनांक 29-7-1988 उचित होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर